न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आरए.एस

प्रकरण सं. 17/ 2019 (राज0 गुण्डा अधि0) राजस्थान सरकार बनाम युसुफ मोहम्मद

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2019/00021)

राजस्थान सरकार जर्ये थानाधिकारी थाना कोतवाली द्वारा पुलिस अधीक्षक झालावाड़

सायल..

बनाम

युसुफ मोहम्मद पुत्र हसन खां जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी गागरोन रोड़

गैरसायल.

इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियत्रण अधिनियम 1973 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही बाबत।

उपस्थित :

1 सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी

2 गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री गोकुल प्रसाद गुंजल

निर्णय

दिनांक 26.02.2021

1 यह इस्तगासा थानाधिकारी थाना कोतवाली झालवाड़ द्वारा जर्ये पुलिस अधीक्षक झालावाड़ राजस्थान गुण्डा नियत्रण अधिनियम 1973 की धारा 3 के अन्तर्गत युसुफ मोहम्मद पुत्र हसन खां जाति मुसलमान निवासी गागरोन रोड़ झालावाड़ के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु न्यायालय में पेश किया गया है।

2 संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी थाना कोतवाली द्वारा जर्ये पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा गैरसायल युसुफ मोहम्मद पुत्र हसन खां जाति मुसलमान निवासी गागरोन रोड़ झालावाड़ के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 8299 दिनांक 22.04.2019 द्वारा इस्तगासा न्यायालय इस आशय का पेश किया गया कि गैर सायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध थाना कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ में निम्न मुकदमे दर्ज है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:54:28 IST
Reason: SelfAttested

क0स0	इस्तगासा पेश करने की दिनांक		प्रकरणों की स्थिति
1	157/ 13.05.2016	13 आरपीजीओ	100/ – जुर्माना
2	330/ 29.08.2016	13 आरपीजीओ	50/ – जुर्माना
3	16/ 05.01.2019	13 आरपीजीओ	100/ – जुर्माना

उक्त तीनो प्रकरणों में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है । इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहसी, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरूद्ध गवाही देने से डरते है, इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

3 प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जर्ये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल निर्धारित दिनांक को उपस्थित हुआ गैर सायल की ओर से वकील श्री गोकुल प्रसाद गुंजल द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया। प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।

4 पेशकार सरकार द्वारा अपनी बहस में इस्तगासे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गैर सायल अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहसी, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरूद्ध गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

5 वकील गैर सायल द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किये गये जवाब को दोहराते हुए अनुरोध किया गया कि गैर सायल एक गरीब व्यक्ति है तथा ऑटो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है, पुलिस द्वारा अपने टारगेट पूरे करने के लिये गैर सायल को मुलजिम बनाया गया है, जबकि प्रार्थी के विरूद्ध 13 आरपीजीओ के अलावा अन्य कोई प्रकरण दर्ज नही है। अब वह शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है, गैर सायल की परिस्थितियों को देखते हुए नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण में बरी करने की कृपा करें।

अभियोजन अधिकारी द्वारा इस पर यह तर्क दिया गया कि गैर सायल द्वारा उस पर आरोपित तीनों प्रकरण में जुर्म [illegible] द्वारा जुर्माने से दण्डित किया गया है। इसलिये अभिभाषक गैर सायल [illegible] यह [illegible]र्क स्वीकार योग्य नही है।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। [illegible]स्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) में गुण्डा शब्द को परिभाषित किया गया है उक्त धारा के खण्ड (V) में उपबन्धित अनुसार राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश (13 आरपीजीओ) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram.
Date: 2021.03.03 10:54:28 IST
Reason: SelfAttested

अधीन 2 से अन्यून बार दोष सिद्व व्यक्ति **"गुण्डा"** अभिप्रेत है। हस्तगत प्रकरण में समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि गैर सायल के विरूद्व कुल 3 प्रकरण धारा 13 आरपीजीओ में दण्डनीय दर्ज हुए है, जिनमें सभी में गैर सायल को दोष सिद्व कर न्यायालय द्वारा जुर्माना अधिरोपित किया गया है । अतः इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर इस्तगासा स्वीकार किया जाकर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अर्न्तगत सन्तुष्ट होकर मै गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

आदेश

8 युसुफ मोहम्मद पुत्र हसन खां जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी गागरोन रोड़ को दिनांक 04.03.2021 से 4 (चार) माह के लिए जिला झालावाड की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अवधि मे गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली बूंदी जिला बूंदी के थानाधिकारी को प्रतिदिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियो की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम मे लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गॉजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नही होगा। थानाधिकारी थाना कोतवाली झालावाड़ गैर सायल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को थाना कोतवाली बूंदी जिला बूंदी की सीमाओ में पहूँचाने की व्यवस्था करें।

थानाधिकारी थाना कोतवाली बूंदी जिला बूंदी गैर सायल की उनके यहॉ उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवायेगे। निष्कासन की अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी थाना कोतवाली बूंदी जिला बूंदी गैर सायल के वापस लौटने की सूचना थानाधिकारी कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ एवं इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी की जावे तथा प्रति सूचनार्थ जिला मजिस्ट्रेट झालावाड/बूंदी एवं पुलिस अधीक्षक झालावाड़/बूंदी को दी जावे।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:54:28 IST
Reason: SelfAttested

9 निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़